अपील सूचना अधिकार संख्या 104/2020 (RCMS 2020/00272) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 986462) बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

02.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और लिखित बहस पेश की, जो शामिल मिसल की गई।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 23.10.2019 में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना
2. प्रार्थी के क्रमांक दिनांकित 23.10.2019 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सचूना ।
3. प्रार्थी के पत्रांक के आपके कार्यालय का पत्रांक का आरआर नम्बर व दिनांक की सूचना।
4. प्रार्थी के पत्रांक में अंकित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 के सम्बन्ध में बी.एल.ओ.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्री सुभाष गोयल द्वारा एक ही दिना 06.04.2014 को चुनाव दिवस लोकसभा में श्रीगंगानगर व जोधपुर उपस्थित दर्ज करवाने पर उसे जारी आरोप पत्र धारा 16 सीसीए में की गई निलम्बन कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना निलम्बन की कार्यवाही जिस अधिनियम की धारा में नही की गई है, उसकी सूचना।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/61 दिनांक 20.01.2020 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1	1 से 5 के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना।	आपके पत्रांक के सम्बन्ध में दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 3190 दिनांक 18.12.2019 द्वारा पत्र भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।
2	प्रार्थी के पत्रांक दिनांकित 23.10.19 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	प्रार्थी के पत्र पर उपखण्ड अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभारी लिपिक द्वारा कार्यवाही की गई है।
3	प्रार्थी के पत्रांक के आपके कार्यालय का पत्रांक का आरआर नम्बर व दिनांक की सूचना।	आर आर नम्बर 2300 दिनांक 31.10.2019 पर दर्ज है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4	प्रार्थी के पत्रांक में अकिंत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 के सम्बन्ध में बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा जानी एक ही दिन 06.04.14 को चुनाव दिवस लोकसभा में श्रीगंगानगर व जोधपुर उपस्थित दर्ज करवाने पर उसे जारी आरोप पत्र धारा 16 सीसीए में की गयी निलम्बन कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।	प्रबन्ध निदेशक जीकेएसबी श्रीगंगानगर द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध 16सीसीए में की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है। प्राप्त होते ही आपको उपलब्ध करवा दी जावेगी
5	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना निलम्बन की कार्यवाही जिस अधिनियम की धारा में नही की गयी है उसकी सूचना।	निलम्बन की कार्यवाही बीएलओ के सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.01.2020 से जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर